प्रारुप-30.4

दिनांक 🖪 🚣 📭 🐧 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम खैरनी

क्मांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	नाम	^
1	मग्रीत्र सह	1077100
2.	7917 BE	नवीन सिंह
3.	YATO HE	tra
4	-4 dalac	- Thomas
5	यन्द्रन सिंह महरा	433212
6	and the	chandon
7	Total C	atna 4
8	MELLINE	इताहर
9	ने हनी देवी	1000
10	g Hillar	माड्नाइवा
11	OI LIN	74-191
12	4407	Sievent
13	OUTA	केमला द्वा
14	111164	21101
	22927	217/1921
15	Agrande	8011991
16	9 9/8/49	9191250
	रत्याल १ मेर	यग्रालि। १५%
18	Marks.	iten ?
19	र्म एक्टालिक	Jan 1
26	51141195	K
21	2/5 8/63	musson
22	दापा द्वा	दीपाँदी
23	Holls	MSA
24	dregises s	Jan Hall
25	askul salm	वसन्द्रा
26	Jall	Suit
27	9000	Jet a c
28	ला ला पुत्री	लीला पुर्वी
-	e1-15-#	SARA
30	मिलापिक	मणुरासिक

ह0 ∕ − ग्राम प्रधान onfacil कविता जन्तवाल गाम पंचायत खैरनी वि०ख० बेतालघाट (नैनीताल)

प्रारुप-30.4

दिनांक .०४ ०४ ०१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम:- रहेली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
		CVIIIIV
1.	ज्यात जलावर	13/2
2. 3.	- GERICIUTE	702-1
3.	<u> जिल्लास</u>	· (13 9561)
4.	yxottas-	1-11-11-12
5.	700	33171715
6.	3-120 0 21 - 3112	पुरनावर
٠,	admindes	-11012111
8	Said Co	वालगाउँ
9.	Taurage Charles	AHIGE,
10.	ZIII 4/11/2	Jeousen Singer
11.	0/8/5) 13/6	mydys
12	73112	Bahedie South
13.	Hatal Kie	Tank
14.	7091 X16	years los
15.	aria ende	Notal M
6	ज्याननास्ट	ब्रुलव-सार्ड
17.	21/21/28	विशामारिक ह
18.	David	214100
19.	514004	Adinis
20.	5125009	21956h
21,	May Mil	2020121
09.	HEAT HOSE	1887 ·
22,	Clo Jal Me	Travel The
24.	Local Pruliast	relet Producth
51	भावीसह	THI CITTLE
5'	LAND MICHOL	Farnist
6.	द्वला जलाल	0000
20.	21/4/2/15	- 2027 lin
28.	KiSAML	1<15 other
	417/5/106	717/31/2
101	1 m/ 120 5	eten/

ग्रीम पंचायत खैरनी विठख० बेतालघाट (नैनीताल)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम खैरनी तहसील बेतालघाट. जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत थापली से रहेली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.817 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.187 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा

प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेत् आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खैरनी, रहेली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल को परियोजना के

निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वाम पंचायत ख्वान। विवास कार (वेनीबास)

ह0 ∕ − ग्राम प्रधान / सरपंच मृहर सहित

midel कविता जन्तवाल ग्राम पंचायत खैरनी बि०ख० बेतालघाट (नैनीताल)

शास सभा भीरती (तेनानाला)

अन पंचालन राम रहेली क्ट मझा कराचा (अनीत छ)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोश्यॉ-कुटोली / बेतालघाट अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, बेतालघाट

उपखण्ड बेतालघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत थापली से रहेली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 2.187 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.187 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बेतालघाट) की दिनांक 3 रिक्री की कार्यवाही का

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार सिमति की बैठक श्री **अपूर्व टाटवाल** , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री गीर्व-प्रवाल	——उपजिलाधिकारी ——— उ पजिलाधिकारी ———
2-	श्री 🔾 — 🔻	उप प्रभागीय वनधिकारी
3—	श्री उभर जाउँ	———सदस्य
4-	श्रीमती प्रमा देवी	सहायक समाज केल्याण अधिकारी बी०डी०सी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत श्यापली से रहेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.187 हे० सिविल भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरितं किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————हारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बेतालघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत थापली से रहेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.187 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमूति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-बेतालघाट

जनपद- नैनीताल प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

> उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-बेतालघाटॐ जनपद- नैनीताल

प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

Dated-1-8 09 019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.187 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of Thapli to Raheli motor road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Khairni, Raheli village (s) in Betalghat tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the (a) FRA has been carried out for the entire 2.187 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to.4...annexure.

the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama

Sabhas have given their consent to it;

the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups (c) and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects) Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital No-drynn Dated-18/09/09

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.187 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of Thapli to Raheli motor road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Khairni, Raheli village (s) in Betalghat tehsils. It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the (a) FRA has been carried out for the entire 2.187 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to .4...annexure

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all (c) formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when (d) there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as (e) required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, (f) where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e)

Eucl: As, above.

Signature (Full name and official seal of the District Collector)

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Savin Barkal I.A.S which application claiming rights in Khairni, Raheli area measuring 2.187 hect for the construction of Thapli to Raheli motor road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Betalghat sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 18 .09 !!!

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe